बिहार सरकार

<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</u>

<u>सं0सं0–05निदे0/प्री–मैट्रिक (द0नि0) 10–01/2025 अनु0–</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा–I से IV तक ₹1200/– वार्षिक, कक्षा–V से VI तक ₹2400/– वार्षिक, कक्षा–VII से X तक ₹3600/– वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) ₹6000/– वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं दर संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–282 दिनांक–11.02.2011 के द्वारा राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को निम्नवत् दर पर विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

क्र0	वर्ग	छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक)
i	विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग–I से IV	₹600/–
ii	विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग –V से VI	₹1200/–
iii	विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग –VII से X	₹1800/–
iv	मुसहर/भुंइया छात्रवृत्ति वर्ग–I से VI	₹1200/–
v	कक्षा I से X तक (छात्रावासी)	₹3000/–

(क) वर्त्तमान में वर्ग 1 से 8 के लिए राज्य स्कीम से तथा वर्ग 09 एवं 10 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना से छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है।

(ख) छात्रवृत्ति हेतु शैक्षणिक वर्ष में दिनांक–01 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के दौरान उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए।

2. वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (मुसहर/भुईयां सहित) एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति

प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से वित्तीय वर्ष 2025–26 से (01.04.2025 के प्रभाव से) विद्यालय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दर को निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है।

क्र0 सं0	वर्ग	छात्रवृत्ति की वर्तमान दर (वार्षिक)	दिनांक–01.04.2025 से छात्रवृत्ति की संशोधित दर (वार्षिक)
i	वर्ग–I से IV	₹600/–	₹1200/–
ii	वर्ग –V से VI	₹1200/–	₹2400/–
iii	वर्ग –VII से X	₹1800/–	₹3600/–
iv	वर्ग – I से X तक (छात्रावासी)	₹3000/–	₹6000/–

(क) वर्ग 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय होगी।

(ख) सभी अर्हता प्राप्त बिहार राज्य के निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी इस योजना से आच्छादित होंगे।

(ग) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कोई आय सीमा नही होगी।

(घ) विभागीय संकल्प सं0–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में योजना का कार्यान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ङ) शिक्षा विभाग द्वारा यदि अन्य लाभुक आधरित योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त्त को शिथिल/परिवर्तित किया जाता है तो उक्त के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु भी 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त्त को शिथिल/परिवर्तित मानी जाएगी।

3. राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम मांग सं0–44 के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण के तहत् अनुसूचित जाति के लिए उपमुख्य शीर्ष–01 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उपमुख्य शीर्ष–02 के तहत् बजट उपबंध से राशि का वहन किया जायेगा।

4. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03.02.26

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05निदे0/प्री—मैट्रिक (द0नि0) 10—01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक—03/02/2026

प्रतिलिपिः—हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05निदे0/प्री—मैट्रिक (द0नि0) 10—01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक—03/02/2026

प्रतिलिपिः—हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05निदे0/प्री—मैट्रिक (द0नि0) 10—01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक—03/02/2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05निदे0/प्री—मैट्रिक (द0नि0) 10—01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक—03/02/2026

प्रतिलिपिः—सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05निदे0/प्री—मैट्रिक (द0नि0) 10—01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक—03/02/2026

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय

तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03-02-26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05निदे0/प्री—मैट्रिक (द0नि0) 10—01/2025 अनु0 635 पटना, दिनांक—03/02/2026

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव